Form no 111

फर्द अहकाम
(नियम 133)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

सुखप्रीत कौर बनाम श्योपत आदि

अन्तर्गत धारा :–धारा 188,92ए आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या :– ...21.... /2024
राजस्व विविध संख्या :– ..15..... /2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
10.01.2024 यह वाद पत्र वादी की ओर से **श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता** द्वारा अन्तर्गत धारा 188,92ए आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है। वाद–पत्र के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट. शीर्षक **सुखप्रीत कौर बनाम श्योपत आदि** प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22.02.2024 को पेश हो।	
22.2.24 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्थ है। पत्रावली दिनांक 8.3.24 को पेश हो	
11.03.2024:–पत्रावली पेशी मे आई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया लोक अदालत कि भावना से प्रेरित होरक राजीनामा हो गया। वारिया अब इस दावा को नही चलाना चाहती। वादपत्र को इसी प्रकम पर खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उकत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि वादिया का प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा हो जाने के उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादिया के वादपत्र मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। प्रकरण नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील शामिल दफ्तर हो।	सुखप्रीत कौर by me 11.3.24

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:15:06 IST
Reason: SelfAttested